and Assembly elections, necessary amendments to the conduct of Elections Rules, 1961 to provide for use of these machines are being made.

Woman Judges in High Courts

1701. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the number of woman judges appointed in various High Courts after Independence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): The requisite information is being collected from the High Courts and will be laid on the Table of the House after it has been received.

आम चुनाव लड़ने के लिए निरर्हता

1702. कुमारी आलिया :
डा० एन० तुलसी रेड्डी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, आम चुनाव लड़ने के लिये निरर्ह किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) किसी निर्वाचित पद के लिए दो बच्चों के नियम की बाध्यता को भविष्यलक्षी रूप से न कि भूतलक्षी रूप से स्वीकार किये जाने से संबंधित सुझाव, 6-7 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में हुए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारसाधक मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से पृष्ठांकित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय इस विषय से अवगत है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

@1703. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में, राज्यवार, कितना-कितना निवेश किया गया;

(ख) यह कुल निवेश का कितना प्रतिशत था; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना विवरण-पत्र में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) सरकार कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है तथा इन प्रयत्नों को पिछले दो वर्षों के दौरान भी जारी रखा गया है। सिंचाई में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय, जो कृषि में मुख्य निवेश है, वर्ष 1990-91 में 4109.61 करोड़ रु० तथा 1991-92 में 4603.95 करोड़ रु० था। इसके अतिरिक्त, कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे खोह-खड्ड वाले क्षेत्रों में भूमि-उद्धार तथा स्थिरीकरण, आवाह-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, वर्षा से पोषित कृषि के लिए राष्ट्रीय जलविभाजक विकास कार्यक्रम, लवणीय तथा अम्लीय मृदा उद्धार उथले ट्यूबवैलों के निर्माण कुएं खोदने के लिए लघु तथा सीमान्त-कृषकों को सहायता, संस्थागत अधिकरणों जैसे कि सहकारी वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त तथा सामयिक ऋण की व्यवस्था। सरकार ने कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहन देने तथा किसानों के लाभों की रक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं।

@पूर्वतः अतारंकित प्रश्न 826, 3 मार्च, 1992 से स्थानांतरित।